तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
13/7/22	वकील उपस्थित वादिया की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत टंकनीय भूल को दुरुस्त करने पेश किया गया जिसमें वादिया बिमला देवी के पति का नाम फूलचंद के स्थान पर भूलवश बसन्तलाल दर्ज होना अंकित किया है जिसे दुरुस्त कर सही नाम फूलचन्द दर्ज करने का अनुरोध किया/ साथ ही साक्ष्य के रूप में वादिया संलग्न 2,3, 5 ता० 9 का शपथ पत्र पेश किया जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले वादी द्वारा वादिया का नाम दुरुस्ती हेतु पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया बिमला देवी के पति का नाम बसन्तलाल के स्थान पर फूलचन्द लाल स्याही से लिखा जावे। वादीगण और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है प्रतिवादीगण की एकपक्षीय होने से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की जाती है पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 19/7/22 को पेश हो	
19/7/22	वकील उप०। बहस श्रवण की गई कार्यवाही स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली है। पत्रावली जैसे दुरुस्त होकर दर्ज रजिस्टर से कट हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो	

Reader
checking Report
Prepared by ...

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00465

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पर्चा डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 70/2019 **(धापा देवी बनाम हरफुल सिंह वगैरह)**

निर्णय दिनांक :– 19.07.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.07.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 176 रकबा 1.01 है0, 177 रकबा 1.41 है0, 179 रकबा 0.48 है0, 180 रकबा 2.22 है0 व ख0न0 180/234 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.13 है0, ग्राम हमीरी कलां पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 113 रकबा 0.49 है0, 119 रकबा 1.66 है0, 120 रकबा 2.15 है0, 121 रकबा 1.34 है0, 122 रकबा 1.36 है0, 123 रकबा 1.09 है0, 130 रकबा 0.91 है0, 131 रकबा 0.84 है0 व ख0न0 132 रकबा 1.25 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 11.09 है0 तथा ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां में भूमि ख0न0 153 रकबा 0.96 है0, 154 रकबा 1.38 है0 कुल किता दो कुल रकबा 2. 34 है0 तथा ग्राम गोपालपुरा में क्रयशुदा भूमि ख0न0 189/211 रकबा 0.04 है0, 198 रकबा 0.51 है0, 199 रकबा 1.02 है0, 200 रकबा 0.92 है0 व ख0न0 200/217 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.58 है0 भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/10 वां हिस्सा तथा वादीगण 4 लगायत 6 को स्व0 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.07.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 70 / 2019

1. श्रीमती धापा देवी पुत्री जिवण पत्नी श्री महादाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तह0 मलसीसर हाल निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. श्रीमती चन्नी उर्फ चनणी देवी पुत्री जिवण पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी गोपालपुरा हाल निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. बनारसी देवी पुत्री जिवण पत्नी कन्हैयालाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा हाल निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. सुशीला पुत्री नानीबाई पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. रणवीर पुत्र नानीबाई व मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. मुकेश पुत्र नानीबाई व मनीराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी चारण कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. किस्तुरी पुत्री जिवण पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी गोपालपुरा तह0 मलसीसर हाल निवासी नयाबास तन धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. गीतादेवी पुत्री जिवण पत्नी श्री बसन्तलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तह0 मलसीसर हाल निवासी लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. बिमला देवी पुत्री जिवण पत्नी श्री बसन्तलाल जाति जाट निवासी गोपालपुरा तह0 मलसीसर हाल निवासी लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

1. हरफूल पुत्र जिवण जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. गिरधारी पुत्र जिवण जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. मोहनलाल पुत्र जिवण जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. बाली उर्फ बलकोर पत्नी सोहनाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. रणधीर पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. मोहरसिंह पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. सुरेश पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. सुशीला पत्नी विजय कुमार जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. पंकज पुत्र विजय कुमार जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. अरविन्द पुत्र विजय कुमार जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
11. गुरुदयाल पुत्र बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
12. शुभकरण पुत्र बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

13. रामजीलाल पुत्र बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
14. मणी पुत्री बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
15. पिंकू पुत्र सावित्री पुत्री बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
16. कमला पुत्री बक्सीराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
17. फतेहसिंह पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
18. सुरेश कुमार पुत्र मामराज जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
19. श्रीचन्द पुत्र नौरंग जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
20. लिछमण उर्फ लक्ष्मण जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
21. प्रबन्धक, इण्डियन बैंक शाखा कार्यालय झुझुनू
22. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुझुनू
23. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिरू सिंह सर्किल झुझुनू।
24. प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा कार्यालय झुझुनू।
25. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री राजेश कुमार सुण्डा
वकील प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.07.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 176 रकबा 1.01 है0, 177 रकबा 1.41 है0, 179 रकबा 0.48 है0, 180 रकबा 2.22 है0 व ख0न0 180/234 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.13 है0 तथा ग्राम हमीरी कलां पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 113 रकबा 0.49 है0, 119 रकबा 1.66 है0, 120 रकबा 2.15 है0, 121 रकबा 1.34 है0, 122 रकबा 1.36 है0, 123 रकबा 1.09 है0, 130 रकबा 0.91 है0, 131 रकबा 0.84 है0 व ख0न0 132 रकबा 1.25 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 11.09 है0 तथा वाके ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां में भूमि ख0न0 153 रकबा 0.96 है0, 154 रकबा 1.38 है0 कुल किता दो कुल रकबा 2.34 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त आराजीयात में वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 तथा वादीगण 4 लगायत 6 की माता स्व0 नानीबाई का जिवण के विधिक वारिसान की हैसियत से संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा हुआ। परन्तु वादीगण के पिता जिवण की मृत्यू के बाद जिवण के फौतगी इन्तकाल में सहवन से वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 तथा वादीगण 4 लगायत 6 की माता स्व0 नानीबाई का नाम दर्ज नहीं हो पाया। केवल प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व जिवण की पत्नी बाली के नाम से उक्त फौतगी इन्तकाल दर्ज किया गया। जिवण की पत्नी बाली की मृत्यू के बाद फौतगी इन्तकाल दिनांक 20.10.2011 को भरा गया जिसमें वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 तथा वादीगण 4 लगायत 6 की माता नानीबाई के नाम से भरा गया। इस प्रकार वादीगण जिवण के विधिक वारीसान हुये। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण जिवण के विधिक वारिसान की हैसियत से उसके 1/6 हिस्से में से वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 प्रत्येक 1/10 हिस्सा, वादीगण 4 लगायत 6 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से में अर्थात वादीगण 4

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

लगायत 6 प्रत्येक 1/60 हिस्सा की घोषणा करवाने व उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये जाने के अधिकारी है।

इसी प्रकार जिवण ने अपने जीवन काल में ग्राम गोपालपुरा में भूमि ख0न0 189/211 रकबा 0.04 है0, 198 रकबा 0.51 है0, 199 रकबा 1.02 है0, 200 रकबा 0.92 है0 व ख0न0 200/217 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.58 है0 भूमि क्रय की थी। उक्त आराजीयात में भी वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 का प्रत्येक 1/10 वां हिस्सा तथा वादीगण 4 लगायत 6 का स्व0 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 वां हिस्सा है। ओर इसी अनुरूप उक्त आराजीयात में भी को उक्तानुसार वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 प्रत्येक 1/10 हिस्सा तथा वादीगण 4 लगायत 6 का स्व0 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने के अधिकारी है। अंत में वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/10 वां हिस्सा तथा वादीगण 4 लगायत 6 को स्व0 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वाद पत्र मे दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नही है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 25 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादीगण की ओर से साक्ष्य में वाद के समर्थन में वादीगण 2, 3, 5 लगायत 9 ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज पर प्रदर्श 1 लगायत 29 डाले। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रदर्श 1 लगायत 5 – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के मु0न0 74/2017 उनवानी लक्ष्मण बनाम धापा में निर्णय दिनांक 01.05.2018 की प्रति, आदेशिका की प्रति, वाद पत्र की प्रति, जवाब दावा की प्रति तथा नक्शा ट्रेस की प्रति
2. प्रदर्श 6 – मिलान क्षेत्रफल
3. प्रदर्श 7 लगायत 15 – नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70, 2063–66, 2029–32, 2025–28, 2021–24, 2017–20, 2013–16, 2012–15 व 2042–45 वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां।
4. प्रदर्श 16 लगायत 29 – नकल जमांबदी सम्वत 2042–45, 2033–36, 2029–32, 2021–24, 2017–20, 2013–16, 2012–14, 2065–68, 2069–72 वाके ग्राम इन्द्रपुरा

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को जिवण के वारिसान की हैसियत से जिवण की खातेदारी भूमि में उनके हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। तमाम साक्ष्य सबूतों तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण जिवण के विधिक वारिसान है और विधिक वारिसान की हैसियत से जिवण की मृत्यू के उपरांत फौतगी इन्तकाल में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होना विधिक त्रुटि रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानुसार किसी व्यक्ति की पैतृक सम्पती में उसके वारिसान का बराबर का हिस्सा है तथा उसकी स्वयं की अर्जित सम्पति में उसकी मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान का बराबर का हिस्सा होता है। वादीगण द्वारा अपने पिता जिवण के हिस्से की भूमि में उनके वारिसान की हैसियत से अपने हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। समस्त साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 176 रकबा 1.01 है0, 177 रकबा 1.41 है0, 179 रकबा 0.48 है0, 180 रकबा 2.22 है0 व ख0न0 180/234 रकबा 0.01 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.13 है0, ग्राम हमीरी कलां पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि ख0न0 113 रकबा 0.49 है0, 119 रकबा 1.66 है0, 120 रकबा 2.15 है0, 121 रकबा 1.34 है0, 122 रकबा 1.36 है0, 123 रकबा 1.09 है0, 130 रकबा 0. 91 है0, 131 रकबा 0.84 है0 व ख0न0 132 रकबा 1.25 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 11.09 है0 तथा ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का हमीरी कलां में भूमि ख0न0 153 रकबा 0.96 है0, 154 रकबा 1.38 है0 कुल किता दो कुल रकबा 2.34 है0 तथा ग्राम गोपालपुरा में क्रयशुदा भूमि ख0न0 189/211 रकबा 0.04 है0, 198 रकबा 0.51 है0, 199 रकबा 1.02 है0, 200 रकबा 0.92 है0 व ख0न0 200/217 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.58 है0 भूमि में वादीगण 1 लगायत 3 व 7 लगायत 9 प्रत्येक को 1/10 वां हिस्सा तथा वादीगण 4 लगायत 6 को स्व0 नानीबाई के 1/10 वें हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/7/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर